जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18.5.22 पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 20 से 24 के अधिवक्ता उप.। इस वादपत्र में दिनांक 07.01.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर धारा 53 आर.टी.ए. के तहत तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./202/2344 दिनांक 11.03.2022 प्राप्त हुआ। इस विभाजन प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा तहसील से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमत होकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन की अंतिम विभाजन की डिक्री प्रदत्त किये जाने का निवेदन किया तथा दूसरी विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण के प्राथमिक डिक्री के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव नहीं आया है तथा शेष बची चक 6 जे.डी.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 88/244 (44) के कला नम्बर 2/.025, 3/0.025, 20/0.220 कुल 0.270 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में हम प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 व 20 से 24 की ब.हि.ब. खातेदारी रही है इस बाबत भी हम प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 व 20 से 24 के सम्बन्ध में विभाजन की अंतिम डिक्री प्रदान की जावे। इस सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुना गया तथा बाद अवलोकन पाया कि प्राथमिक डिक्री में प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 व 20 से 24 के सम्बन्ध में विभाजन के आदेश पारित किये जाते है तो वादीगण को कोई आपति नहीं है। अतः वादपत्र वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव व शेष बची भूमि .270 हैक्टेयर के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18, 20 से 24 के सम्बन्ध अंतिम विभाजन की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है अतः निम्नलिखित अनुसार अंतिम विभाजन की डिक्री जाती है:–

(क) वादीगण–मूर्तिदेवी पत्नि प्रमाणराम, सुमन पुत्री प्रमाणराम व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 रामकुमार–राधेश्याम उर्फ इमीलाल पिस. प्रमाणराम अकवाम भाट को चक 6 जे.आर.के के पत्थर नम्बर 98/243 (33) के किला नम्बर 21 ता 25, पत्थर नम्बर 88/244 (44) के किला नम्बर 1, 10, ... 20 ... .008, तादादी 1.756 हैक्टेयर ब.हि.ब.।

(ख) प्रतिवादीगण संख्या 15 से 18 व 20 से 24 को चक 6 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 88/244 (44) के किला नम्बर 2/.025, 3/.025, 20/.220 कुल 0.270 है. ब.हि.ब.।

उक्तानुसार अंतिम विभाजन की अंतिम विभाजन की डिक्री पारित की जाती है। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो तथा न्यायिक स्थगन, किसी न्यायालय का स्थगन आदि न हो व प्रश्नगत भूमि पर जिस खातेदार का रहन मुक्त नहीं हुआ है, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकमराज अलग कायम किया जावे व भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन/ गैरखातेदार/ आराजीराज) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.5.22 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलैक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2022.11.02 13:10:28 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner